रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 1974
श्रावण 22, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2675/सत्रह-वि०-1--73/1974
लखनऊ, 13 अगस्त, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 13 अगस्त, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में दो विशेष निधियों के जिनमें से एक, गन्ना अनुसंधान एवं विकास के लिए, और दूसरी, शक्कर फैक्टरियों के पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना के लिए हो, सृजन की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में--

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द "सड़सठ पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपया" रख दिये जायें।

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

"(10) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन लगाये गये कर में उस सीमा तक जहां तक कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर साठ पैसे से अधिक हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि में से उतनी धनराशि निकालेगी जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम के बराबर हो, और उसे नीचे लिखी दो पृथक् निधियों के खातों में निम्नलिखित अनुपातों में जमा करेगी, अर्थात्:—

(क) एक तिहाई भाग, 'उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि' के खाते में, और

(ख) दो तिहाई भाग, 'उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनःस्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि' के खाते में।

(11) उपधारा (10) में अभिदिष्ट दोनों पृथक् निधियों में उस उपधारा में निर्दिष्ट आगमों का जमा किया जाना राज्य की संहत निधि पर भारित व्यय होगा।

(12) उक्त दोनों निधियों का अनुरक्षण तथा प्रवर्तन एक समिति में निहित होगा जो उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शक्कर उद्योग विभाग, जो समिति का संयोजक होगा;

(ख) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड;

(ग) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(13) उपधारा (12) में अभिदिष्ट समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा, और उसे निधियों की धनराशि को ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विनिहित करने की और निधियों के उपरोक्त नामों में क्रमशः इंगित उद्देश्यों पर व्यय करने की शक्ति होगी।"

No. 2675(2)/XVII-1—73-1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Kraya-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 13, 1974:

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (PURCHASE TAX) (AMENDMENT) ACT, 1974

[U. P. Act No. 24 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, with a view to providing for the creation of two special funds, one earmarked for sugarcane research and development and the other for rehabilitation, modernisation and establishment of sugar factories in Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1974.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, specify.

Amendment of section 3 of U. P. Act IX of 1961.

2. In section 3 of the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, hereinafter referred to as the principal Act :—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*a*), *for* the words "sixty-seven paise", the words "one rupee" shall be *substituted* ;

(*b*) *after* sub-section (9) the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(10) At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the tax levied under clause (*a*) of sub-section (1), to the extent that the rate of tax exceeds sixty paise per quintal of sugarcane, recovered by it during the preceding financial year, and place it to the credit of the two separate funds named below in the following proportions, namely :—

(*a*) one-third share to the credit of the Uttar Pradesh Sugarcane Research and Development Fund, and

(*b*) two-third share to the credit of the Uttar Pradesh Sugar Factories Rehabilitation, Modernisation and Establishment Fund.

(11) The Credit of the proceeds referred to in sub-section (10) to the two separate funds referred to in that sub-section shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

(12) The maintenance and the operation of the said two funds shall be vested in a Committee to be called the Uttar Pradesh Sugar Special Funds Committee, consisting of the following persons, namely :—

(*a*) the Secretary to the State Government in the Sugar Industry Department, who shall be the Convener of the Committee ;

(*b*) the Chairman of the U. P. State Sugar Corporation Limited ;

(*c*) the Cane Commissioner, Uttar Pradesh.

(13) The Committee referred to in sub-section (12) shall be a body corporate with perpetual succession, and may sue and be sued by the said name, and shall have power to invest moneys belonging to the funds in such manner as it deems fit and to spend them on the objects indicated in the respective names of the funds."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी०एस०पू०पी०—ए० पी० 194 राजपत्र (हि०)—1219—1974—2,139+150 (मे०)।